

१. पं० दलसुख मालवणिया, निशीथ : एक अध्ययन, सन्मति ज्ञानपीठ  
आगरा, प्रथम संस्करण, पृ० ५४।
२. प्रश्नमति—उमास्वाति, श्लोक १४५।
३. निशीथभाष्य, (निशीथ चूर्णि) — संपा० उपाध्याय अमरमुनि,  
सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, १७५७, ५२४५।
४. बृहत्कल्पभाष्य, संपा० पुण्यविजयजी, आत्मानन्द जैन सभा,  
भावनगर, १९३३, पीठिका, गा. ३२२।
५. वही गा. ३२३-३२४।
६. दशवैकालिक, संपा० मधुकरमुनि, आगम प्रकाशन समिति, व्यावर,  
(राज०), ६, १४।
७. व्यवहारसूत्रउद्देशक, संपा० मुनि कन्हैलाल जी 'कमल', ८।
८. निशीथ : एक अध्ययन, पृ० ६।
९. निशीथभाष्य, गाथा ३६६-३६७।
१०. बृहत्कल्पभाष्य गाथा ४९४६-४९४७।
११. पं० दलसुखभाई मालवणिया—“निशीथ : एक अध्ययन”  
पृ० ५३-७०।
१२. निशीथसूत्रचूर्णि, तृतीय भाग, भूमिका पृ० ७-२८।
१३. छेदसूत्र, संपा० मधुकर मुनि, आगम प्रकाशन समिति, व्यावर,  
पृष्ठ ७४-७५

## जैन धर्म में प्रायश्चित्त एवं दण्ड-व्यवस्था

### प्रायश्चित्त और दण्ड

जैन आचार्यों ने न केवल आचार के विधि-निषेधों का प्रतिपादन किया अपितु उनके भङ्ग होने पर प्रायश्चित्त एवं दण्ड की व्यवस्था भी की। सामान्यतया जैन आगम ग्रन्थों में नियम-भङ्ग या अपराध के लिए प्रायश्चित्त का ही विधान किया गया और दण्ड शब्द का प्रयोग सामान्यतया “हिंसा” के अर्थ में हुआ है। अतः जिसे हम दण्ड-व्यवस्था के रूप में जानते हैं, वह जैन परम्परा में प्रायश्चित्त-व्यवस्था के रूप में ही मान्य है। सामान्यतया दण्ड और प्रायश्चित्त पर्यायवाची माने जाते हैं, किन्तु दोनों में सिद्धान्तातः अन्तर है। प्रायश्चित्त में अपराध-बोध की भावना से व्यक्ति में स्वतः ही उसके परिमार्जन की अन्तःप्रेरणा उत्पन्न होती है। प्रायश्चित्त अन्तःप्रेरणा से स्वयं ही किया जाता है, जबकि दण्ड अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। जैन परम्परा अपनी आध्यात्मिक-प्रकृति के कारण साधनात्मक जीवन में प्रायश्चित्त का ही विधान करती है। यद्यपि जब साधक अन्तःप्रेरित होकर आत्मशुद्धि के हेतु स्वयं प्रायश्चित्त की याचना नहीं करता है तो संघ-व्यवस्था के लिए उसे दण्ड देना होता है।

यद्यपि हमें यह स्मरण रखना होगा कि दण्ड देने से साधक की आत्मशुद्धि नहीं होती। चाहे सामाजिक या संघ-व्यवस्था के लिए दण्ड आवश्यक हो किन्तु जब तक उसे अन्तःप्रेरणा से स्वीकृत नहीं किया जाता तब तक वह आत्मविशुद्धि करने में सहायक नहीं होता। जैन प्रायश्चित्त व्यवस्था में परिहार, छेद, मूल, पाराश्चिक आदि बाह्यतः तो दण्डरूप हैं, किन्तु उनकी आत्मविशुद्धि की क्षमता को लक्ष्य में रखकर ही ये प्रायश्चित्त दिये जाते हैं।

### प्रायश्चित्त शब्द का अर्थ

प्रायश्चित्त शब्द की आगमिक व्याख्या-साहित्य में विभिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत की गई हैं। जीतकल्पभाष्य के अनुसार जो पाप का छेदन करता है, वह प्रायश्चित्त है।<sup>१</sup> यहाँ “प्रायः” शब्द को पाप के रूप में तथा “चित्त” शब्द को शोधक के रूप में परिभाषित किया गया है। हरिभद्र ने पञ्चाशक में प्रायश्चित्त के दोनों ही अर्थ मान्य किये हैं। वे मूलतः “पायच्छित्त” शब्द की व्याख्या उसके प्राकृत रूप के आधार पर ही करते हैं। वे लिखते हैं कि जिसके द्वारा पाप का छेदन होता है, वह प्रायश्चित्त है।<sup>२</sup> इसके साथ ही वे दूसरे अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिसके द्वारा चित्त का पाप से शोधन होता है, वह प्रायश्चित्त है।<sup>३</sup> प्रायश्चित्त शब्द के संस्कृत रूप के आधार पर “प्रायः” शब्द को प्रकर्ष के अर्थ में लेते हुए यह भी कहा गया है कि जिसके द्वारा चित्त प्रकर्षता अर्थात् उच्चता को प्राप्त होता है वह प्रायश्चित्त है।<sup>४</sup>

दिगम्बर टीकाकारों ने “प्रायः” शब्द का अर्थ अपराध और चित्त शब्द का अर्थ शोधन करके यह माना है कि जिस क्रिया के करने से अपराध की शुद्धि हो वह प्रायश्चित्त है।<sup>५</sup> एक अन्य व्याख्या में “प्रायः” शब्द का अर्थ “लोक” भी किया गया है। इस दृष्टि से यह माना गया है कि जिस कर्म से साधुजनों का चित्त प्रसन्न होता है वह प्रायश्चित्त है।<sup>६</sup> मूलाचार में कहा गया है कि प्रायश्चित्त वह तप है जिसके द्वारा पूर्वकृत पापों की विशुद्धि की जाती है।<sup>७</sup> इसी ग्रन्थ में प्रायश्चित्त के पर्यायवाची नामों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जिसके द्वारा पूर्वकृत कर्मों की क्षमणा, क्षेपण, निर्जरण, शोधन, धावन, पुछण, निराकरण, उत्क्षेपण एवं छेदन होता है, वह प्रायश्चित्त है।<sup>८</sup>



















प्रायश्चित्त या दण्ड व्यवस्था में न तो प्रतिकारात्मक सिद्धान्त को और न निरोधात्मक सिद्धान्त को अपनाते हैं अपितु सुधारात्मक सिद्धान्त से सहमत होकर यह मानते हैं कि व्यक्ति में स्वतः ही अपराधबोध की भावना उत्पन्न करा सके एवं आपराधिक प्रवृत्तियों से दूर रखकर अनुशासित किया जाये। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि जब तक व्यक्ति में स्वतः ही अपराध के प्रति आत्मगलानि उत्पन्न नहीं होगी

### सन्दर्भ :

१. जीतकल्पभाष्य, जिनभद्रगणि, सं० पुण्यविजयजी, अहमदाबाद, वि०सं० १९९४।
२. पंचाशक (हरिभद्र, सं० डॉ सागरमल जैन, पार्श्वनाथ विद्यापाठ, वाराणसी १९९७), १६/३ (प्रायश्चित्पंचाशक)।
३. वही।
४. अभिधानराजेन्द्र कोष, पञ्चम भाग, पृ० ८५५।
५. तत्त्वार्थवार्तिक ९/२२/१, पृ० ६२०।
६. वही।
७. मूलाचार, सं०पं० पन्नालाल माणिकचन्द्र दिग्म्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, वि०सं० १९७७, ५/१६४।
८. वही, ५/१६६।
९. स्थानाङ्ग, सं० मधुकरमुनि, व्यावर, ३/४७०।
१०. वही, ३/४४८।
११. वही, १०/७३।
१२. (अ) स्थानाङ्ग, १०/७३।  
(ब) जीतकल्पसूत्र, ४, जीतकल्पभाष्य गाथा ७१८-७२९।  
(स) धवला, १३/५, २६/६३/१।

तब तक वह आपराधिक प्रवृत्तियों से विमुख नहीं होगा। यद्यपि इस आत्मगलानि या अपराधबोध का तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति जीवन भर इसी भावना से पीड़ित रहे अपितु वह अपराध या दोष को दोष के रूप में देखे और यह समझे कि अपराध एक संयोगिक घटना है और उसका परिशोधन कर आध्यात्मिक-विकास के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है।

१३. मूलाचार, ५/१६५।
१४. तत्त्वार्थसूत्र, उमास्वाति, ९/२२।
१५. जीतकल्पभाष्य २५८६, जीतकल्प, १०२।
१६. स्थानाङ्ग, १०/६९।
१७. स्थानाङ्ग, १०/७१।
१८. स्थानाङ्ग, १०/७२।
१९. व्यवहारसूत्र, १/१/३३।
२०. (अ) स्थानाङ्ग, १०/७०।  
(ब) मूलाचार, ११/१५।
२१. जीतकल्प ६, देखें— जीतकल्पभाष्य गाथा ७३१-७५७।
२२. योगशास्त्र-स्वोपज्ञवृत्ति, ३।
२३. आवश्यक टीका, उद्धृत श्रमणसूत्र, पृ० ८७।
२४. स्थानाङ्ग सूत्र, ६/५३।
२५. आवश्यकनिर्युक्ति, १२५०-१२६८।  
सूचना— यापनीय परम्परा में पिण्डछेदशास्त्र और छेदशास्त्र ऐसे दो ग्रन्थ हैं जिनमें प्रायश्चित्तों का विवेचन है।

